राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 121/2025
निर्णय दिनांकः 22.01.2026
जीसीएमएस सं0: 2025/262
दायर दिनांकः 12.07.2025

1. जयनारायण पुत्र डुंगरराम जाति जाट निवासी ग्राम करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

...............प्रतिवादी

उपस्थितः

1. वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिशु एवं श्री ओमप्रकाश घोटिया।
2. प्रतिवादी पैरोकार राज।

दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा दावा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि रोही ग्राम करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 15 में अंकित खसरा संख्या 280 तादादी 2.4278 है0, खसरा संख्या 330 तादादी 13.1255 है0, खसरा संख्या 386 तादादी 4.4636 है0कुल किता 3 कुल तादादी 20.0169 है0 वादी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम जेनाराम पुत्र डुंगरराम दर्ज है। रोही ग्राम करेजडा के खाता संख्या 46 व खाता संख्या 103 में वादी का नाम जयनारायण पुत्र डुंगरराम दर्ज है। वादी का वास्तविक नाम जयनारायण पुत्र डुंगराराम है। वादी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, परिवार राशनकार्ड, परिचय पत्र आदि समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम जयनारायण पुत्र डुंगराराम अंकित है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वादी की खातेदारी भूमि में वादी का नाम दुरस्त करवाना वादी के लिए आवश्यक है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

वादी का खेत रोही करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जेनाराम है जबकि अन्य दस्तावेजों में जयनारायण अंकित है। जेनाराम व जयनारायण एक ही व्यक्ति है अलग अलग नहीं है। अतः तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जेनाराम की बजाय जयनारायण दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड आदि में वादी का नाम जयनारायण पुत्र डुंगरराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़, फर्द मौका दि0 30.12.2025 तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 15 में अंकित खसरा संख्या 280 तादादी 2.4278 है0, खसरा संख्या 330 तादादी 13.1255 है0, खसरा संख्या 386 तादादी 4.4636 है0कुल किता 3 कुल तादादी 20.0169 है0 में दर्ज खातेदार का नाम जेनाराम के स्थान पर जयनारायण दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

वइजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

जयनारायण बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत डिक्री घोषणात्मक, कृषि भूमि दुरस्ती रिकॉर्ड एवं कृषि विभाजन

मुकदमा न0 121 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा, आरएएस, हाजरी श्री मोहनलाल बिशु एवं श्री ओमप्रकाश घोटिया, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है व तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम करेजड़ा तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 15 में अंकित खसरा संख्या 280 तादादी 2.4278 है0, खसरा संख्या 330 तादादी 13.1255 है0, खसरा संख्या 386 तादादी 4.4636 है0कुल किता 3 कुल तादादी 20.0169 है0 में दर्ज खातेदार का नाम जेनाराम के स्थान पर जयनारायण दर्ज किया जावे। अन्य कोई प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। प्रति पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

.... अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 **माह 01 2026**

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा

सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पबकालतनामा		
स्टाम्पवकालतनामा			स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत			महनतानावकीलपर		
महनताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान			फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर			बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।